Sri Santosh Kumar
DASJ-I-cum-Spl. Judge S.C./S.T.
Saharsa

जिला– सहरसा
न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम, सहरसा
–सह–
विशेष न्यायाधीश अनु.जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधि.
सहरसा
स्पेशल एस.सी./एस.टी. 12/2021
सहरसा सदर थाना कांड संख्या–180/2021

1. राज्य (द्वारा) पवन कुमार शर्मा पिता स्व0 कपलेश्वर शर्मा
साकिन–भारतीय नगर, वार्ड नं0 26, थाना वो जिला–सहरसा।

.....अभियोजन पक्ष

बनाम

1. मो0 वकील उम्र 52 वर्ष, पिता मो0 गफूर
2. मो0 शरीफ उम्र वर्ष, पिता मो0 नईम
3. मो0 नईम उम्र 62 वर्ष पिता स्व0 मो0 अजीर
4. मो0 सहजाद उर्फ सज्जाद उम्र 28 वर्ष पिता मो0 वकील
5. नजमी प्रवीण उर्फ नाजनी प्रवीण उम्र 28 वर्ष पिता मो0 वकील
6. मो0 निशाद उम्र 20 वर्ष पिता मो0 वकील
7. मो0 मुख्तार उम्र 51 वर्ष पिता स्व0 अब्दुर गफूर
8. बीबी जुबेदा खातून उम्र 53 वर्ष पति मो0 वकील
9. रौशनी प्रवीण उम्र 25 वर्ष पिता मो0 वकील
10. मो0 अब्बास उम्र 60 वर्ष पिता स्व0 मो0 तसलीम
11. हसीदा खातून उम्र 58 पति मो0 अब्बास
12. मो0 अकरम अली उर्फ मो0 एकराम उम्र 32 वर्ष पिता मो0 अब्बास
13. मो0 शौकत उर्फ इंसान उम्र 3 वर्ष पिता मो0 अब्बास
14. बीबी रौनक खातून उम्र 49 पिता मो0 मुख्तार

सभी साकिनान बटराहा, वार्ड नं0 26, थाना वो जिला सहरसा ।

.....अभियुक्तगण

वाद से संबंधित तिथियों का विवरणः–

1.	घटना की तिथि	19.02.2021	
2.	प्राथमिकी दर्ज करने की तिथि	19.02.2021	अंदर धारा 457, 380, 341, 323, 411, 504, 506, 384, 386, 143, 147, 148 भा0द0वि0 एवं धारा–3(i)(r)(s), 3(2) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट।
3.	आरोप पत्र सं. एवं दाखिल करने की तिथि	297/2021, 02.04.2021	अंदर धारा 143, 147, 149, 323, 341, 457, 380, 411, 504, 506, 224, 225 भा.द.वि.एवं धारा–3(i)(r)(s), 3(2) (v) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट।

4.	संज्ञान लेने की तिथि	19.07.2021	अंदर धारा 143, 147, 149, 323, 341, 457, 380, 411, 504, 506, 224, 225 भा.द.वि.एवं धारा–3(i)(r)(s), 3(2)(v) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट।
5.	आरोप गठन की तिथि	09.12.2025	अंदर धारा 143, 147, 149, 323, 341, 457, 380, 411, 504, 506, 224, 225 भा.द.वि.एवं धारा–3(i)(r)(s), 3(2)(v) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट।
6.	अभियोजन साक्ष्य प्रारंभ होने की तिथि	07.02.2026	
7.	अभियोजन साक्ष्य बंद होने की तिथि	27.04.2026	
8.	धारा–313 द0प्र0स0बयान तिथि	03.06.2026	
9.	सफाई साक्ष्य प्रारंभ की तिथि		
10.	सफाई साक्ष्य बंद होने की तिथि		
11.	बहस प्रारंभ होने की तिथि	03.06.2026	
12.	बहस बंद करने की तिथि	03.06.2026	
13.	निर्णय की तिथि	03.06.2026	

अभियोजन की ओर से :– श्री अमरेंद्र कुमार
विद्वान विशेष लोक अभियोजक

बचाव पक्ष की ओर से :– श्री संजीव कुमार, विद्वान अधिवक्ता

सहरसा, दिनांक–03.06.2026

उपस्थितः– श्री संतोष कुमार,
अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम
सह विशेष न्यायाधीश
सहरसा।

निर्णय

1. इस आपराधिक वाद के अभियुक्तगण क्रमशः 1. मो0 वकील 2. मो0 शरीफ 3. मो0 नईम 4. मो0 सहजाद उर्फ सज्जाद 5. नजमी प्रवीण उर्फ नाजनी प्रवीण 6. मो0 निशाद 7. मो0 मुख्तार 8. बीबी जुबेदा खातून 9. रौशनी प्रवीण 10.

मो0 अब्बास 11. हसीदा खातून 12. मो0 अकरम अली उर्फ मो0 एकराम 13. मो0 शौकत उर्फ इंसान 14. बीबी रौनक खातून के विरूद्ध धारा– 143, 147, 149, 323, 341, 457, 380, 411, 504, 506, 224, 225 भा.द.वि.एवं धारा–3(i)(r)(s), 3(2)(v) अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम अंतर्गत दण्डनीय अपराध के आरोपों के विनिश्चयन हेतु विचारण किया गया है।

2. अभियोजन कहानी का सारांश यह है कि '' मैं पवन कुमार शर्मा पे0 स्व0 कपलेश्वर शर्मा साकिन भारतीय नगर, वार्ड नं0 26, थाना वो जिला सहरसा का निवासी हूँ। दिनांक 18.01.2021 में रात्रि में अपने पूरे परिवार के साथ खाना खाकर सो गये थे। रात्रि समय 01:30 बजे दिनांक 19.02.2021 को खटखट का आवाज सुनाइ दिया तब मेरा नींद खुला तब अपने परिवार को भी जगाये तो देखें कि दो लड़का हाथ मे मेरा अटेची लेकर रूप से निकलकर भागने लगा जिसे मैं एवं अपने परिवार के लोगों के सहयोग से खदेर कर एक लड़का को पकड़ दूसरा लड़का अटेची लेकर भाग गया। पकड़ाये लड़का को रौशनी में लाकर देखे तो पहचाने जिसका नाम मो0 शरीफ पे0 मो0 नईम साकिन बटराहा, वार्ड नं0 26, थाना वो जिला सहरसा है। मैं अपने घर में देखे तो मेरे टेबूल पर से मेरा तीन मोबाईल तथा अटैची नहीं था। मेरा अटैची में सोना का मंगलसूसत्र–1, चांदी का पायल का दोनों जोड़ा, कान का झुमका दो जोड़ा, नकमुन्नी एक, कुछ कागजात तथा 25000/– रूपये था, पकड़ाये मो0 शरीफ के जेब में मेरा तीनो मोबाईल मिला जिस संबंध में पुलिस को सूचित किये जब तक पुलिस पहुँचेते दूसरा भगे लड़का अने पूरे परिवार के सदस्य 1. मो0 वकील पिता मो0 गफूर 2. मो0 शरीफ, पिता मो0 नईम 3. मो0 नईम पिता स्व0 मो0 अजीर 4. मो0 सहजाद उर्फ सज्जाद पिता मो0 वकील 5. नजमी प्रवीण उर्फ नाजनी प्रवीण पिता मो0 वकील 6. मो0 निशाद पिता मो0 वकील 7. मो0 मुख्तार पिता स्व0 अब्दुर गफूर 8. बीबी जुबेदा खातून पति मो0 वकील 9. रौशनी प्रवीण पिता मो0 वकील 10. मो0 अब्बास पिता स्व0 मो0 तसलीम 11. हसीदा खातून पति मो0 अब्बास 12. मो0 अकरम अली उर्फ मो0 एकराम पिता मो0 अब्बास 13. मो0 शौकत उर्फ इंसान पिता मो0 अब्बास 14. बीबी रौनक खातून पिता मो0 मुख्तार सभी साकिनान बटराहा, वार्ड नं0 26, थाना वो जिला सहरसा को बुला लिया। सभी एकाएक हरवे हथियार से लैस होकर मेरे घर पर आ गया । हमलोग को जाति सूचक शब्द का प्रयोग करते हुए गाली गलौज करने लगा। अन्धधूंध मारपीट कने लगा तथा पकड़ाये मो0 शरीफ को छुड़ लिया कहने लगा कि

हम लोग का नाम चोरी करना, चोरी के पैसा से अपना जीवन यापन करता हूँ। केस करोगे तो जान से मार देंगे। मैं एससी/एसटी समुदाय से आता हूँ। '' उपरोक्त आशय के आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज किया गया।

3. उपरोक्त आशय का सूचक के लिखित आवेदन के आधार पर महिषी थाना कांड संख्या– 180/2021 अंतर्गत धारा–457, 380, 341, 323, 411, 504, 506, 384, 386, 143, 147, 148 भा0द0वि0 एवं धारा–3(i)(r)(s), 3(2)) एस0सी0/एस0टी0 अधिनियम के अंतर्गत नामजद अभियुक्त के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज किया गया तथा अनुसंधानकर्ता द्वारा अनुसंधान के क्रम में घटना को सत्य पाकर अभियुक्तगण 1. मो0 वकील 2. मो0 शरीफ 3. मो0 नईम 4. मो0 सहजाद उर्फ सज्जाद 5. नजमी प्रवीण उर्फ नाजनी प्रवीण 6. मो0 निशाद 7. मो0 मुख्तार 8. बीबी जुबेदा खातून 9. रौशनी प्रवीण 10. मो0 अब्बास 11. हसीदा खातून 12. मो0 अकरम अली उर्फ मो0 एकराम 13. मो0 शौकत उर्फ इंसान 14. बीबी रौनक खातून के विरूद्ध आरोप पत्र संख्या–297/2021 दिनांक–02.04.2021 समर्पित किया गया।

4. आरोप पत्र प्राप्त होने पर उपरोक्त अभियुक्तगण क्रमशः 1. मो0 वकील 2. मो0 शरीफ 3. मो0 नईम 4. मो0 सहजाद उर्फ सज्जाद 5. नजमी प्रवीण उर्फ नाजनी प्रवीण 6. मो0 निशाद 7. मो0 मुख्तार 8. बीबी जुबेदा खातून 9. रौशनी प्रवीण 10. मो0 अब्बास 11. हसीदा खातून 12. मो0 अकरम अली उर्फ मो0 एकराम 13. मो0 शौकत उर्फ इंसान 14. बीबी रौनक खातून के विरूद्ध दिनांक–19.07.2021 धारा– 143, 147, 149, 323, 341, 457, 380, 411, 504, 506, 224, 225 भा.द. वि.एवं धारा–3(i)(r)(s), 3(2)(v) अनु.जाति जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम भा0द0वि0 के अंतर्गत अपराध का संज्ञान लेते हुए वाद दौरा सुपूर्दगी किया गया।

5. दिनांक–09.12.2025 को उपरोक्त अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा– 143, 147, 149, 323, 341, 457, 380, 411, 504, 506, 224, 225 भा.द.वि.एवं धारा–3(i)(r)(s), 3(2) (v) अनु.जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधि.के अंतर्गत आरोप का गठन होने के पश्चात अभियोजन साक्षियों का साक्ष्य ग्रहण किया गया है। साक्ष्य प्रकरण बंद होने के पश्चात दिनांक–03.06.2026 को अभियुक्तगण का बयान धारा–313 द.प्र.स.के अंतर्गत लिया गया। अभियुक्त का बचाव है कि इनको इस मुकदमा में झूठा फंसाया गया है तथा वे निर्दोष हैं।

6. अब इस वाद में मुख्य विनिश्चयन का प्रश्न यह है कि क्या अभियोजन अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाए गए आरोपों को सभी युक्तियुक्त संदेहों से परे साबित करने में सफल रहे हैं ?

मन्तव्य

तथा कथित आरोप को साबित करने के लिये कुल मिलाकर अभियोजन की ओर से दो साक्षियों को परीक्षित कराया गया है। वे हैं अभियोजन साक्षी संख्या–1 पवन शर्मा तथा 2 मनोज कुमार शर्मा।

अभियोजन साक्षी संख्या–1 पवन शर्मा इस वाद के सूचक हैं। इन्होंने न्यायालय में अपने सशपथ बयान में यह कथन किया कि तथा कथित घटना 2021 की रात्रि लगभग एक दो बजे का है। उस समय मेरे घर में चोरी हुई थी। चोर के बारे में ग्रामीणों के द्वारा चिन्हित किया गया था। उसी घटना को लेकर थाना में आवेदन दिया था जिस पर मेरा हस्ताक्षर है जिसे साक्षी के पहचान पर P-1/PW-1 चिन्हित किया जाता है। बचाव पक्ष के द्वारा इनका पूर्ण प्रतिपरीक्षण किया गया। प्रतिपरीक्षण में इन्होंने कथन किया कि न्यायालय में उपस्थित किसी भी मुदालहगण ने मेरे घर में चोरी नहीं किया था। गलतफहमी में इन लोगों का नाम दे दिया गया। सभी से मेल मिलाप हो गया है। मेल मिलाप और अनुमति का अर्जी लगाए हैं। दोनों पर मेरा हस्ताक्षर है जिसे पहचानता हूँ। और मुकदमा नहीं लड़ना चाहता हूँ।

अभियोजन साक्षी संख्या–2 ने भी न्यायालय में स्पष्ट कथन किया कि मैं इस केस के बारे में कुछ नहीं जानता हूँ और न ही पुलिस में मेरा कोई बयान हुआ था।

इस तरह अभियोजन के द्वारा उपरोक्त अभियुक्तों के विरूद्ध कोई विधिक साक्ष्य नहीं लाया जा सका जिससे कि अभियुक्तों के विरूद्ध लगाये गये किसी भी आरोप को साबित किया जा सके। अतः अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के सम्यक विवेचनोपरांत मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि अभियोजन उपरोक्त सभी अभियुक्तों के विरूद्ध लगाये गये किसी आरोपों को सभी युक्ति युक्त तथा तर्कपूर्ण संदेहों से परे साबित करने में पूर्णतः विफल रहा है परिणामतः इस वाद के उपरोक्त

सभी अभियुक्तों को उनके विरूद्ध लगाये गये सभी आरोपों से दोषमुक्त करते हुए उन्हें तथा उनके जमानतदारों को बंधपत्र के दायित्वों से मुक्त किया जाता है।

(लेखापित एवं शुद्धिकृत)

(संतोष कुमार)
अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम
सह विशेष न्यायाधीश
सहरसा
03.06.2026

लेखापित

(संतोष कुमार)
अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम
सह विशेष न्यायाधीश
सहरसा
03.06.2026

अभियोजन/बचाव पक्ष/न्यायालय साक्षीगण की सूची

क–अभियोजन

रैंक	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, मेडिकल साक्षी, पंच साक्षी साक्षी, अन्य साक्षी)
p.w.-1	पवन शर्मा	सूचक
p.w.-2	मनोज कुमार शर्मा	अन्य साक्षी

ख–बचाव पक्ष साक्षीगण

रैंक	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, मेडिकल साक्षी, पंच साक्षी साक्षी, अन्य साक्षी)

ग–बचाव पक्ष साक्षीगण

रैंक	नाम	साक्ष्य की प्रकृति(प्रत्यक्षदर्षी साक्षी,पुलिस साक्षी,विषेषज्ञ साज्ञी साक्षी,मेडिकल साक्षी, पंच साक्षी साक्षी,अन्य साक्षी)

अभियोजन/बचाव पक्ष/न्यायालय प्रदर्श की सूची

क–अभियोजन

क्रमांक	प्रदर्श संख्या	विवरण
1.	P-1/PW-1	अभियोजन साक्षी संख्या–1 पवन शर्मा इस वाद के सूचक हैं, उनके द्वारा थाना में दिये आवेदन में अपने हस्ताक्षर की पहचान की जिसे प्रदर्श किया गया।

ख–बचाव पक्ष

क्रमांक	प्रदर्श संख्या	विवरण

ग–न्यायालय प्रदर्ष

क्रमांक	प्रदर्श संख्या	विवरण

घ–वस्तु प्रदर्ष

क्रमांक	प्रदर्श संख्या	विवरण

(संतोष कुमार)
अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम
–सह–
विशेष न्यायाधीश, सहरसा
03.06.2026